

कार्यालय अधिष्ठाता  
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.

निविदा वर्ष 2026–2027

गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास भवनों में स्थापित वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर कार्य की दरों के अनुबंध हेतु ई-निविदा फार्म

(द्वितीय निविदा आमंत्रण)

कीमत रूपये 1000 /–

(रूपये एक हजार मात्र)

वापिसी योग्य नहीं (Non Refundable)

निविदा क्रमांक–16357–3/05/05/2026

निविदा आई.डी.–2026\_DME\_505207\_1

निविदा का अनुमानित मूल्य– रूपये 15 लाख

## DATE SCHEDULE OF ONLINE TENDER

ई-निविदा सूचना क्रमांक 16357-3/2026 दिनांक 05/05/2026

S.No.	Particular	Date & Time
1.	Online Bid Publishing Date & Time	12.05.2026 Time 05.00 P.M.
2.	Online Document Download/Sale Start Date & Time	12.05.2026 Time 05.30 P.M.
3.	Pre-Bid Meeting Date & Time	14.05.2026 Time 12.30 P.M.
4.	Online Bid Submission Start Date & Time	15.05.2026 Time 12:00 P.M.
5.	Online Bid Submission Closing Date & Time	25.05.2026 Time 12:00 P.M.
6.	Online Bid Opening Date & Time	26.05.2026 Time 12:30 P.M.

**Compulsory Format to Submit (Documents)**  
**तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र**

स.क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
		संलग्न हों/नहीं
1.	www.mptenders.gov.in पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक (ऑनलाईन) पद्धति से जमा निर्धारित धरोहर राशि रुपये 45,000/- की पावती।	
2.	एम.एस.एम.ई. के तहत धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म राशि की छूट प्राप्त करने वाले निविदादाताओं को निविदा कार्य संबंधी श्रेणी का एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित निविदा कार्य की श्रेणी को प्रमाण पत्र में हाईलाईट कर व स्वयं सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित निविदा कार्य की श्रेणी का ना होने पर धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म राशि की छूट मान्य नहीं होगी।	
3.	ई-निविदा पोर्टल पर एम.एस.एम.ई. की छूट प्राप्त करने पर वाले निविदादाता को ऑनलाईन जमा जी.एस.टी राशि की पावती प्रस्तुत करना होगा।	
4.	कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड संपूर्ण निविदा प्रपत्र सील एवं हस्ताक्षर सहित	
5.	फर्म/कंपनी के जीवित रजिस्ट्रेशन की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
6.	पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
8.	निविदाकार को विगत 03 माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के जी.एस.टी. रिटर्न जैसे जी. एस. टी.आर-1 की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
9.	निविदाकार को विगत 03 माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के जी.एस.टी. रिटर्न जैसे जी. एस. टी.आर-3बी की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
10.	वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 (तीन वर्षों का निरंतर) का सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर सार्टिफिकेट with <b>CA Signature: Official seal, signature and Unique Document Identification Number (UDIN) self attested</b>	
11.	निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2023-2024 2024-2025 एवं 2025-2026 के आई.टी. रिटर्न की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ।	
12.	<b>Format A (02 पेज)</b>	
13.	<b>Format B (01 पेज)</b>	
14.	<b>Format C (01 पेज)</b> रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र।	
15.	वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक (अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक) की अवधि में वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर कार्य के विभिन्न शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों से जारी कार्य राशि रुपये 12.00 लाख के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियाँ।	
16.	म.प्र. विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा जारी बी-क्लास श्रेणी का वैध विद्युत ठेकेदारी लायसेंस की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	

निविदादाता फर्म का नाम अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सील सहित

**गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी  
हॉस्पिटल, मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास भवनों में स्थापित  
वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की नियम  
एवं शर्तें**

वर्ष 2026-2027 के लिये गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों, महाविद्यालय से संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह के भवनों, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन, मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास भवन में स्थापित वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर कार्य की दरों के निर्धारण हेतु ऑनलाईन निविदायें निम्न शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती हैं:-

1. निविदा पत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से दिनांक 12.05.2026 से ऑनलाईन डाउनलोड कर क्रय किये जा सकते हैं।
2. निविदायें केवल ऑनलाईन ही क्रय की जा सकेंगी एवं ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी। कार्यालय से मैन्युअली निविदा फॉर्म न तो विक्रय किया जावेगा और न ही मैन्युअली जमा किया जावेगा।
3. यदि निविदा शर्तों एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन अथवा समय वृद्धि किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो वह [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से ही ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन सूचना जारी नहीं की जावेगी।
4. अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में ऑनलाईन निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इस हेतु उन्हें अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को शासन द्वारा अवकाश की घोषणा कर दी जाती है तो प्राप्त निविदायें आगामी कार्यदिवस में खोली जावेगी।
5. निविदा दो बिड पद्धति (Two Bid System) के आधार पर ही होगी। जो क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में होगी।
6. प्रथमतः जिन निविदादाताओं की ऑनलाईन धरोहर राशि एवं निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होंगे उन्हीं निविदादाताओं की ऑनलाईन वित्तीय निविदायें खोली जावेगी। जिन निविदादाताओं द्वारा निर्धारित धरोहर राशि एवं आवश्यक पूर्ण दस्तावेज संलग्न नहीं किये जावेंगे। उन्हें अयोग्य मान्य किया जावेगा।
7. तकनीकी निविदायें पूर्ण पाई जाने के उपरांत ऑनलाईन वित्तीय निविदायें खोलने की दिनांक से पृथक से ऑनलाईन माध्यम से सूचना निविदादाता को प्राप्त होगी।
8. निविदादाता को निर्धारित पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर दरे निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता द्वारा दरों का ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत लिफाफा मान्य नहीं किया जावेगा।
9. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत या कूटरचित पाये जाने पर उसकी निविदा निरस्त की जाकर उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं उसका/उसकी संस्था/फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।
10. दरों की बी.ओ.क्यू आईटम रेट प्रकार की है अर्थात् समस्त दरों के कुल योग के आधार पर न्यूनतम दरों का चयन किया जावेगा।
11. दरों की बी.ओ.क्यू के कॉलम 51 में निविदादाता को जी.एस.टी. टैक्स रूपये में प्रस्तुत करना होगा। प्रतिशत में टैक्स प्रस्तुत करने पर वह मान्य नहीं होगा।

12. जी.एस.टी. टैक्स सहित प्रस्तुत दरे मान्य नहीं होगी।
13. निविदा में स्वीकृत दरों से कम दरे निविदादाता किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में प्रस्तुत नहीं करेगा।
14. एकजाई न्यूनतम दरों के आधार पर निविदादाता का चयन किया जावेगा।
15. बी.ओ.क्यू. में सरल क्रमांक 2.76 से 2.79 Any Other Part Repair or Change के नाम से कॉलम अंकित किये गये हैं जो कि निविदादाता के लिये ओपन है। इन कॉलम में बी.ओ.क्यू. में अंकित आयटम के अलावा कोई आयटम शेष हो तो उसमें निविदादाता आयटम का नाम/कार्य का नाम अंकित कर दरे प्रस्तुत कर सकता है।
16. प्रत्येक आयटमवार रिपेयर हेतु लगने वाली समस्त सामग्री के न्यूनतम योग के आधार पर ही निविदा में दरों का निर्धारण किया जावेगा। आयटम की पृथक-पृथक न्यूनतम दरों के आधार पर दरों का निर्धारण नहीं किया जावेगा।
17. महाविद्यालय, चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास में वर्तमान में विभिन्न क्षमता के स्थापित वाटर कूलर की अनुमानित संख्या 70 एवं रैफ्रिजरेटर की अनुमानित संख्या 60 है जिसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है।
18. निविदादाता को जिस कंपनी का वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर है उसी कंपनी के नार्मस् के अनुसार कंप्रेसर एवं अन्य पार्टस ओरिजनल लगाने होंगे।
19. बदले जाने वाले समस्त पार्टस नवीन लगाने होंगे। वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर से निकाले गये पुराने कंप्रेसर महाविद्यालय के सैन्ट्रल स्टोर में जमा कराने होंगे।
20. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर खराब होने की सूचना मिलने पर उसे अधिकतम 02 घंटे में ठीक करने उपस्थित होना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस हेतु राशि रुपये 2,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा। जो कि निविदादाता के देयक से काट लिया जावेगा।
21. निविदादाता पर 03 से अधिक बार अर्थदण्ड आरोपित होने पर अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकता है।
22. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर में निविदादाता के कारण किसी भी प्रकार की खराबी आने के कारण वह ठीक ना होने, जल जाने की स्थिति में उसकी कीमत का निर्धारण कर उसकी वसूली निविदादाता से की जावेगी।
23. रिपेयर कार्य की अवधि निविदा कार्य प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष की होगी। जिसमें कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी वृद्धि भी की जा सकेगी। परंतु समयवधि में वृद्धि करने पर कोई भी दर वृद्धि मान्य नहीं की जावेगी।
24. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य की नवीन निविदा होने तक यदि आवश्यक होता है तो निविदादाता की कार्य अवधि में 01 से 02 माह की वृद्धि की जा सकती है जो कि उसे मान्य होगी।
25. निविदादाता को कार्यआदेश प्राप्त होने पर अधिकतम 07 दिवस में कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा धरोहर राशि राजसात कर फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।
26. निविदादाता को दरे स्वीकृती संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरांत 05 दिवस में अनुबंध निष्पादित करने हेतु निर्धारित राशि के स्टॉम्प अपने व्यय पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे साथ ही राशि रुपये 45,000/- बतौर जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अधिष्ठाता, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के नाम से जमा करानी होगा।

27. समस्त निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऑनलाईन जमा धरोहर राशि रूपये निविदा स्वीकृती के उपरांत स्वतः उनके बैंक खाता क्रमांक (जिस बैंक खाते से भुगतान किया गया है) में पोर्टल के माध्यम से वापिस प्राप्त होगी।
28. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य करने हेतु निविदादाता द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ किये जावेंगे जो रिपेयर कार्य के दौरान पहचान पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे।
29. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य हेतु निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में से कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा मृत्यु होने की दशा में उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
30. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य हेतु पदस्थ कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की दशा में उपचार/मुआवजा देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
31. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य का भुगतान निविदादाता को प्रतिमाह के आधार पर किया जावेगा।
32. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य के देयक अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नियुक्त अधिकारियों के प्रमाणीकरण व अग्रेषित किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किये जावेंगे।
33. वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा शिकायत पाये जाने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
34. यदि निविदादाता द्वारा किसी अनियमितता की शिकायत पाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उसका वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर रिपेयर कार्य निरस्त कर सकेगा। साथ ही धरोहर राशि भी राजसात कर ली जावेगी।
35. उपरोक्त वर्णित शर्तों में अनुबंध पत्र संपादित करने के दौरान आवश्यकतानुसार अन्य शर्तें शामिल करने का अधिकार अधिष्ठाता, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा।
36. निविदादाता को निविदा निरस्तीकरण के कारण बताये जाने के बारे में कोई अधिकार नहीं होगा।
37. निविदादाता के मासिक देयक में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. टी.डी.एस. का कटौती किया जावेगा।
38. निविदादाता की फर्म का नाम किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग की काली सूची में अंकित होने की स्थिति में उसकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
39. निविदादाता को खराब वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर को रिपेयर कार्य हेतु महाविद्यालय परिसर के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। उनमें होने वाले रिपेयर कार्य उसे परिसर में करने होंगे।
40. समस्त प्रक्रिया में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
41. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर ही होगा।

**निविदा शर्तें एवं सह दस्तावेज— 08 पृष्ठ**



अधिष्ठाता  
गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय  
ग्वालियर(म0प्र0)

**वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर का कार्य**

प्रति,

अधिष्ठाता,  
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय,  
ग्वालियर

**विषय:—** वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर कार्य हेतु निविदा बाबत।

**महोदय,**

मेरे द्वारा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, उससे संबद्ध चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास के विभिन्न भवनों में स्थापित वाटरकूलर/रैफ्रिजरेटर के रिपेयर कार्य हेतु [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित ई-निविदा पर उपलब्ध निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों को भली भाँति पढ़ एवं समझ लिया गया है एवं निविदा फार्म में अंकित समस्त शर्तें मुझे स्वीकार है। जिसके फलस्वरूप मैं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:—

स.क्र.	वांछित जानकारी	विवरण
1.	निविदादाता का पूरा नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	निविदादाता फर्म का पंजीयन नं.	
4.	पत्राचार का पूर्ण पता पिन कोड नं. सहित	
5.	स्थायी पता	
6.	ई-मेल/फैक्स नं.	
7.	दूरभाष/मोबाईल नं.	
8.	पेन नं.	
9.	जी.एस.टी. नं.	
10.	बैंक खाता क्रमांक (फर्म के नाम)	
11.	बैंक का नाम	
12.	खाते का प्रकार	
13.	बैंक शाखा का नाम एवं पूर्ण पता	
14.	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड	

निविदादाता फर्म का नाम अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सील सहित

**घोषणा पत्र (शपथ पत्र)**

**(रूपये 100/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जावे)**

1. मैं/ हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/ हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदा कार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/ हम किसी ऐसे कांट्रैक्टर (टेकेदार) को जो कि मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा वर्तमान में बहिष्कृत ना हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य मान जावे।
6. मेरा/हमारा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरे मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. हमारी संस्था सी.बी.आई./लोकायुक्त/अन्य शासकीय कार्यालय इत्यादि की जाँच में दोषी सिद्ध नहीं किया गया है, और ना ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा बिंदु क्रमांक 01 से 08 तक प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

**गवाह के हस्ताक्षर**

**निविदादाता के हस्ताक्षर सील सहित**

1. गवाह का नाम, हस्ताक्षर, पता एवं मोबाईल नं

2. गवाह का नाम, हस्ताक्षर, पता एवं मोबाईल नं

स्थान : .....

दिनांक : .....